रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226120 CG-DL-E-25032021-226120

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1229]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

No. 1229]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2021

का.आ. 1327(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 31 की उप—धारा (5) के साथ पठित उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के दिनांक 7 फरवरी, 2019 के का. आ. 908 (अ) की अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थातः

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 5 में प्रविष्टि जो निम्नलिखित हैं:

5 श्री आलोक मुखर्जी, निदेशक, मैसर्स सिस्कॉम कॉर्पोरेशन प्रा लिमिटेड, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र ।

को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

 श्री अमित मेहरा, चेयरमैन एवं प्रंबंध निदेशक, मैसर्स मेडिको एलेक्टॉड इन्टरनेश्नल लिमिटेड, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र ।

> [फा. सं. ए-43 / 1 / 2021 – एसईजेड] अमिताभ क्मार, संयुक्त सचिव

1808 GI/2021 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2021

S.O. 1327(E).—The Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of Section 31 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby makes the following amendment in the notification of the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number S.O. 908 dated 07.02.2019, namely:

In the said notification, the entry at Sl.No. 5 which reads as under

5 Sh. Alok Mukherjee, Director, M/s. Syscom Corporation Pvt. Ltd, NSEZ

shall be substituted as under:

5 Sh. Amit Mehra, Chairman & Managing Director, M/s. Medico Electrodes International Ltd., NSEZ

[F. No. A-43/1/2021-SEZ]

AMITABH KUMAR, Jt. Secy.